भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा 6074

अतारांकित प्रश्न संख्या

(दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल रेडियो और डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण की भूमिका

6074. श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किफायती जनसंचार माध्यम के रूप में डिजिटल रेडियो और डायरेक्ट टू मोबाइल (डी2एम) प्रसारण की क्या भूमिका है;

(ख) स्पैम कॉल और संदेशों बढ़ती दर को रोकने में ब्लॉकचेन तकनीक की क्या भूमिका है; और

(ग) प्रसारण क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क): डिजिटल रेडियो और डायरेक्ट-टू-मोबाइल (डी2एम) प्रौद्योगिकियां जनसंचार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं, क्योंकि ये एक ही फ्रीक्वेंसी पर कई चैनलों के प्रसारण हेतु स्पेक्ट्रम का बेहतर उपयोग करती हैं। डिजिटल रेडियो एक किफायती, फ्री-टू-एयर इकोसिस्टम प्रदान करता है। डी2एम इस सुविधा का विस्तार करते हुए स्थलीय अवसंरचना के माध्यम से वीडियो, ऑडियो और डेटा को सीधे मोबाइल उपकरणों तक प्रसारित करता है, जो सिम कार्ड या मोबाइल डेटा पर निर्भर नहीं होता। इससे किफायती मनोरंजन, शिक्षा तथा आपातकालीन या आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार के लिए एक सशक्त "डेटा पाइप" उपलब्ध होता है।

(ख): अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) या स्पैम कॉल्स का विनियमन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा उसके दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर) के अंतर्गत किया जाता है। यूसीसी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ट्राई ने एक वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) प्लेटफॉर्म (ब्लॉकचेन तकनीक) लागू किया है, जिस

पर उपभोक्ता प्रचार संबंधी संचार प्राप्त करने के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कर सकते हैं। प्रमुख संस्थाएं (जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, एयरलाइंस आदि) और टेलीमार्केटर भी इस डीएलटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होते हैं। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों प्रकार के टेलीमार्केटरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु डीएलटी प्लेटफॉर्म पर एक शिकायत तंत्र भी स्थापित किया गया है। यह विभिन्न एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच शिकायतों के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है, जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(ग): सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय-समय पर उपयुक्त नीतिगत दिशानिर्देश जारी कर प्रसारण क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने को समर्थन एवं प्रोत्साहन देता है। प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) स्कीम, एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका उद्देश्य दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के प्रसारण अवसंरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करना है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रसार भारती, प्रसारण क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क का निरंतर उन्नयन करता है। इसमें नेटवर्क का डिजिटलीकरण तथा नवीनतम उपकरणों के साथ उन्नयन शामिल है।
